सं.31011/3/2018-स्था.(क-IV)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना क-IV डेस्क

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 20जून, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषयः केन्द्रीय सिविल सेवाएं (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम,1988- हवाई यात्रा द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर तथा अंडमान और निकोबार के भ्रमण में छूट- के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के हवाई यात्रा द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के) और अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) के एलटीसी भ्रमण में छूट से संबंधित दिनांक 20.09.2018 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि पूर्वोक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2(IV) के अनुसार हवाई यात्रा के गैर-हकदार सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी-80 किराया की अधिकतम किराया सीमा के अध्यधीन निम्नलिखित क्षेत्रों में इकोनॉमी श्रेणी में हवाई यात्रा की अनुमति है :-

(क) कोलकाता/गुवाहटी और उत्तर-पूर्व क्षेत्र में किसी स्थान के बीच।
(ख) कोलकाता/चेन्नई/विशाखापत्तनम और पोर्ट ब्लेयर के बीच।
(ग) दिल्ली/अमृतसर तथा जम्मू और कश्मीर में किसी स्थान के बीच।

इन गैर-हकदार कर्मचारियों की उनके मुख्यालय से कोलकाता/गुवाहटी/चेन्नई/विशाखापत्तनम/दिल्ली/अमृतसर तक की यात्रा उनकी हकदारी के अनुसार की जाएगी।

2. इस संबंध में, इस विभाग में अनेक पत्र/आरटीआई आवेदन प्राप्त होते हैं जिनमें उन एलटीसी दावों के समाधान के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे जाते हैं जिनमें कोई गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी अपनी हकदारी के विपरीत अपने मुख्यालय से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर), जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के) और अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) में किसी गंतव्य की सीधी हवाई यात्रा करता है।

3. व्यय विभाग के परामर्श से इस विभाग में इस मामले की समीक्षा की गयी है। यह निर्णय लिया गया है कि विशेष सुविधा स्कीम के अंतर्गत किसी गैर-हकदार सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने मुख्यालय से उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर)/जम्मू और कश्मीर (जे ऐंड के)/अंडमान और निकोबार (ए ऐंड एन) में किसी गंतव्य की सीधी हवाई यात्रा किए जाने के मामले हवाई यात्रा की विशेष सुविधा स्कीम के अंतर्गत उनकी रेल और हवाई यात्रा हकदारी के अनुसार निम्नवत विनियमित किए जाए :-

"भ्रमण के स्थान (एनईआर/जे ऐंड के/ए ऐंड एन) के आधार पर मुख्यालय/तैनाती के स्थान से सबसे निकट संगत रेलवे स्टेशन (अर्थात् कोलकाता/गुवाहटी/चेन्नई/विशाखापत्तनम/दिल्ली/अमृतसर) तक अधिकृत श्रेणी का रेल किराया + समान रेलवे स्टेशन से भ्रमण के स्थान तक एलटीसी-80 इकोनॉमी श्रेणी हवाई किराया; अथवा मुख्यालय से भ्रमण के स्थान तक वास्तविक हवाई किराया, जो भी कम हो।"

4. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के मामले में यह आदेश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के पश्चात् जारी किया जा रहा है।

20.6.19
(सूर्य नारायण झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव
भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
(मानक सूची के अनुसार)

जारी...2/-

प्रति प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली।
6. सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।